

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-87/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० कीर्ति काजल, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गड़हनी, भोजपुर के दिनांक-16.03.2026 से 11.09.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन को द्वितीय संतान के प्रसव हेतु उपभोगित/उपभोग की जानेवाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक-2/एल-87/2026-

1971/2

पटना, दिनांक 13/8/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गड़हनी, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, आरा, भोजपुर/डा० कीर्ति काजल, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गड़हनी, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/8/2026

सरकार के अवर सचिव।

R